



चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल Medical College & Hospital Ludhiana लुधियाना-141001 Phone: 0161-2772435 / 2775539

Email: dean-ludhiana.pb@esic.gov.in
Website: https://ludhianahospital.esic.gov.in

FOR WEBSITE

सार्वजनिक सूचना

आम जनता, रोगियों, उनके कानूनी प्रतिनिधियों और सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल,लुधियाना,पंजाब अपनी रिकार्ड छंटनी नीति के अंतर्गत अपने पुराने चिकित्सा अभिलेख नष्ट करने जा रहा है।

पुराने चिकित्सा अभिलेखों को वर्ष 2003 में संशोधित, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PC & PNDT) अधिनियम 1994 कि धारा 29 (1) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय के दिनांक 09/05/2019 के परिपत्र संख्या यू-16/30/232/2013-ProI.Cell(SST)Maha/Wup में निर्धारित चिकित्सा अभिलेख की प्रति धारण अनुसूची के अनुसार नष्ट किए जाएंगे।

	_	छटनी के लिए अनुमोदित दस्तावेज
	`	जनवरी 2020 से दिसंबर 2020
2.	दाखिला/आई पी डी केस शीट	जनवरी 2021 से दिसंबर 2021

यह सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति या उनके कानूनी प्रतिनिधि या अन्य प्राधिकारी यदि:

- ॰ इन अभिलेखों में से किसी अभिलेख की प्रति लिपि लेना चाहते हों;
- ॰ इन अभिलेखों में दी गई किसी प्रकार की जानकारी की जरूरत हो ;
- इन अभिलेखों के आधार पर किसी दस्तावेज को जारी करने या उनमें कोई परिवर्तन चाहते हों, या भविष्य में किसी ऐसे अधिकार/अभिरुचि की संभावना हो;

तो वह इस सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर वांछित अभिलेखों के विवरण का उल्लेख करते हुए चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

यदि नोटिस प्रकाशन की तिथि के 30 दिनों के भीतर छंटनी हेतु प्रस्तावित अभिलेखों /दस्तावेजों के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई जाती है या कोई मांग पत्र नहीं दिया जाता है तो अस्पताल प्रशासन उक्त रिकार्ड का निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा छंटनी की करवाई कर दी जाएगी। सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के बाद किसी भी तरह के पत्राचार पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

		0
देनांक25/08/2025	:	डान

स्थान: लुधियाना। का.रा.बी.नि मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल 🛮